वाद संख्या–26 / 2024

अरूण कुमार जायसवाल बनाम् मो0 रसूल।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–25.06.2024, दिनांक–01.08.2024 तथा दिनांक–12.09.2024 को हुई। वादी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार भक्ता एवं श्री रामेश्वर ठाकुर तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री अशहर मुस्तफा एवं श्री विकास कुमार झा द्वारा पक्ष रखा गया। जिला प्रशासन की तरफ से श्रीमती प्रियंका कौशिक, वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी तथा उपेन्द्र पंडित, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी के अनुरोध पर सुनवाई की अधिकारिता आयोग में निहित नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा Cut off date दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान का मामला नहीं उठाया गया है, बल्कि उनके वाद का मूल आधार यह है कि उनके मुवक्किल का पक्ष में निर्गत किये गये, जन्म प्रमाण–पत्र को निर्गत करने में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की गई, प्रक्रियात्मक त्रुटि है। **उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का दावा है कि उनके मुवक्किल के बच्चों का जन्म प्रमाण–पत्र फर्जी पत्र के आधार पर निर्गत कराया गया है।** उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बैरगनियाँ के द्वारा यदि गलत ढ़ंग से या प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना कोई जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, तो इसके विरूद्ध सुनवाई सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्राधिकार में है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि उनका वाद यही है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बैरगनियाँ द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैरगनियाँ के जिस पत्र का हवाला देते हुये, प्रतिवादी के पक्ष में जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, वह पत्र फर्जी है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यह जाँच में भी स्थापित हो चुका है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बैरगनियाँ द्वारा फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर प्रतिवादी के पक्ष में जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। उनके द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया कि मामले को सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को संदर्भित कर दिया जाए, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–1668 / जि0सा0, दिनांक–11.09.2024 के साथ संलग्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैरगनियाँ के पत्रांक–440, दिनांक–13.06.2024 में स्पष्ट है कि वादी द्वारा दावा किये जा रहे पत्र को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैरगनियाँ के कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।

प्रथम दृष्ट्या वादी का आरोप जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला

पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन से प्रमाणित पाया जाता है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बैरगनियाँ द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में जन्म प्रमाण निर्गत करने में फर्जी अभिलेखों का उपयोग किया गया है, परन्तु यह मामला राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बैरगनियाँ के नियुक्ति प्राधिकार प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना है। अतः उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु वही सक्षम प्राधिकार है।

उक्त वर्णित स्थिति में वादी के अनुरोध को आयोग स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु वादी प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के समक्ष वाद/परिवाद लाने हेतु स्वतंत्र है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

(डॉ० दीपक प्रसाद)
03.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–

(डॉ० दीपक प्रसाद)
03.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–26/2024 3719 पटना, दिनांक– 3.10.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सीतामढ़ी** /उप निर्वाचन पदाधिकारी, **सीतामढ़ी**/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बैरगनियाँ, **सीतामढ़ी**/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैरगनियाँ, **सीतामढ़ी** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी **सीतामढ़ी** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

03/X/24
विशेष कार्य पदाधिकारी